

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक:- मुसप्र/2023/1017

दिनांक:- 2/3/23

आदेश

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-डूंगरपुर/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर के अधीन राजस्थान आवासन मण्डल की माही सरोवर आवासीय योजना एवं शास्त्री नगर आवासीय योजना, बांसवाड़ा में निम्न आवासों को ई-ऑक्शन के माध्यम से अनुशंसा के आधार पर निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	कॉलोनी एवं शहर का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	आवास का माप (मीटर में)
1.	माही सरोवर आवासीय योजना, बांसवाड़ा	LIG	2-A-31 ✓	6.00X11.25
		LIG	2-Q-08 ✓	6.00X11.25
		MIG-A	1-I-10	6.00X15.00
		MIG-B	1-A-53	9.00X18.00
2.	शास्त्री नगर आवासीय योजना, बांसवाड़ा	EWS	2-C-46	4.00X9.00
		EWS	1-F-27	4.00X9.00
		EWS	4-C-09	4.00X9.00
		MIG-A	4-B-03	8.00X15.00
		MIG-A-Duplex	3-L-11	6.00X12.00

उक्त वर्णित 09 भूखण्डों को उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर द्वारा की गई अनुशंसा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा बैठक 05.07.2018 प्रदत्त निर्देशानुसार मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित शर्तों के व ई-ऑक्शन की निर्धारित शर्तों के अध्ययन होगी, जो निम्नानुसार है:-

1. आवासीय योजना में आवास/प्लैट/आवटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/प्लैट/आवटन करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/प्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर इस तथ्य का प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/प्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/प्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/प्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।


उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(दीपाली भगोतिया)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत-उदयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-डूंगरपूर राजस्थान आवासन मण्डल, डूंगरपुर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक